96

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017निगरानी

III/निगरानी/मुरैना/भूरा/2017/6056

स्वरूप सिंह पुत्र स्व. श्री हरजीवन सिंह आयु–80वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम पारथ का पुरा, मौजा खड़ियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.) ———प्रार्थी

बनाम

1. नाथूसिंह
2. पंचरत्नसिंह पुत्रगण स्व. श्री रूस्तम सिंह,
3. कैदार सिंह
4. परमाल सिंह,
5. सुखराम पुत्रगण स्व. श्री ज्ञानसिंह, समस्त निवासीगण–ग्राम पारथ का पुरा, मौजा खड़ियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थीगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17/11/2017 पारित द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक–37/2016–17 अ 27</u>

श्रीमान् महोदय,

प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यह कि, प्रार्थी एंव प्रतिप्रार्थीगण के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एंव आधिपत्य का एक कृषि खाता क्रमांक–332, सर्वे क्रमांक–139, रकवा 0.46 लगानी 4.40 पैसे स्थित ग्राम महूरी परगना अम्बाह जिला मुरैना है। उपरोक्त खाते का बंटवारा कराये जाने हेतु एक आवेदन–पत्र तहसील अम्बाह जिला मुरैना में दिनांक 05/07/2017 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिप्रार्थी क्रमांक–1 की तामील हो चुकी है तथा विधिवत इस्तेहार भी जारी हो चुके हैं। तत्पश्चात् मौके के अनुसार मौजा पटवारी द्वरा कब्जे एवं हिस्से के अनुसार फर्द बंटवारा भी प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसका प्रकरण क्रमांक–41/2016–17 अ–27 है।

RSGOUD 2/HEM

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/6056

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी नायव तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 37/2016–17 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–11–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार अम्वाह के समक्ष सामिलाती खातों के बटवारे का दावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 37/2016–17 अ–27 पॅजीबद्व हुआ है । सुनवाई के दौरान आवेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई है कि संयुक्त परिवार के 4 खाते हैं एंव चारों खातों का विभाजन एक प्रकरण में नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रकरण कमांक 37/2016–17 अ–27 को इसी–स्तर पर निरस्त किया जावे। नायव तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17–11–17 से आपत्ति आवेदन निरस्त किया है। आवेदक के आपत्ति आवेदन पर एंव नायव तहसीलदार के आदश दिनांक 17–11–17 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि **अब्दुल करीम विरूद्व हाफिज मोहम्मद 1989 राजस्व निर्णय 57 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि अनेक संयुक्त खाते होने की**	

दशा में प्रत्येक खाते का विभाजन किया जा सकता है अथवा प्रत्येक खाते में से एक खाते का भी विभाजन किया जा सकता है। यह सिद्वांत मुसलमानों के संयुक्त खातों पर भी लागू है। स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना ने प्रकरण कमांक 37/2016–17 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–11–17 से आवेदक की आपत्ति अमान्य करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलनयोग्य नहीं होने के कारण इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य